

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक १०७०/स्था/प्रशा/२००५

बिलासपुर, दिनांक २३/८/२००५

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम २००२ की धारा ४९ के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक २२.०८.०५ विषय क्रमांक-१४ के निर्णयानुसार श्रीमती अनिता खन्ना की नियुक्ति निम्न शर्तों पर स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित प्रौद्योगिकी संस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में क्याख्यता (अभ्यारक्षित) पद पर वेतनमान रुपये ८०००-१३५००/- में दो वर्ष की परिवीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत चयन परिणियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अर्थात् वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के साथ समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

यदि परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवायें चालचलन संबंधी जॉच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होगी।


दिनांक ०६.०९.२००५ तक पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिणियम ३१ एवं अध्यादेश-४ के अन्तर्गत संचालित होगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं।

उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी। वेतन एवं अन्य शर्तें उपर्युक्तानुसार होंगी, अन्य शर्तें मान्य नहीं होंगी।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना मद में विकलनीय होगा।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार



कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक २३/८/२००५

पू.क्रमांक ३०७१/स्था/प्रशा/२००५

प्रतिलिपि :-

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
05. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
06. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेशा प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय पारेसर, छ.ग.शासन, रायपुर (छ.ग.)।
07. निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
08. वित्ताधिकारी/सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. श्रीमती अनिता खन्ना को इस निर्देश के साथ कि वे दिनांक ०६.०९.२००५ तक आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वारथ्य परीक्षण आयु पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा अक्सरनामा भी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10. निजी नकली।


कुलसचिव